



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या 734 / 2026

मोहम्मद फैजान और 2 अन्य

... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ और एक अन्य

...विपक्षी पक्षकार(गण)

ए.एफ.आर 23.02.2026 को सुरक्षित

20.03.2026 को प्रदत्त

20.03.2026 को अपलोड

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

आवेदकों के लिए अधिवक्ता: श्री आफताब अहमद, हर्ष वर्धन केडिया, शीरन मोहिउद्दीन अलवी
विपक्षी पक्षकारों के लिए अधिवक्ता: अपर शासकीय अधिवक्ता।

(माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह द्वारा सुनाया गया)

1. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 342/2022, अंतर्गत धारा 121-क, 153-क और 295-क भारतीय दंड संहिता, थाना बखशी का तालाब, जिला लखनऊ से उत्पन्न सत्र मामला संख्या 2414/2023, राज्य बनाम मोहम्मद फैजान एवं अन्य में विशेष न्यायाधीश एन.आई.ए./अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 3, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.07.2025 तथा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-पंचम, लखनऊ द्वारा पारित संज्ञान आदेश दिनांक 22.12.2022 को रद्द करने की मांग करते हुए, और उक्त मामले की संपूर्ण कार्यवाहियों को समाप्त (रद्द) करने की अतिरिक्त प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

2. प्रारंभ में ही, विद्वान एजीए श्री शिव नाथ तिलहरी ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 21(1) के मद्देनजर, बरी करने से इनकार करने के आदेश के विरुद्ध धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन स्वीकार्य नहीं है (संक्षेप में "एनआईए अधिनियम, 2008"), जिसमें यह प्रावधान है कि विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय, सजा या आदेश (अंतरिम आदेश को छोड़कर) के विरुद्ध तथ्यों और कानून दोनों के

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आधार पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान एजीए ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

1. सल्लाहुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2022) एससीसी ऑनलाइन इला. 660;

2. सुमित कुमार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2024) एससीसी ऑनलाइन इला. 3146; और

3. रविंद्र कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2025) एससीसी ऑनलाइन इला. 6055।

3. दूसरी ओर, आवेदक के अधिवक्ता श्री आफताब अहमद ने यह तर्क दिया है कि इस न्यायालय के पास धारा 482 सीआरपीसी/528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन पर सुनवाई करने की अंतर्निहित शक्ति है और बर्खास्तगी आवेदन की अस्वीकृति पर इस न्यायालय द्वारा सुनवाई और निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने न्यायालय को यह समझाने का प्रयास किया है कि चूंकि एनआईए अधिनियम, 2008 आवेदक पर लागू नहीं होता है, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उन पर उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था और धारा 482 सीआर.पी.सी./528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना के लिए प्रावधान करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, जिसमें विशिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत विशिष्ट मामलों की जांच के लिए प्रावधान शामिल हैं, एजेंसी के माध्यम से और विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा अन्य संबंधित मामलों के लिए आगे के प्रावधान। राष्ट्रीय आयकर अधिनियम, 2008 के उद्देश्यों और कारणों का विवरण निम्नानुसार है:-

“भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जांच एजेंसी गठित करने हेतु अधिनियम और संयुक्त राष्ट्र, उसकी एजेंसियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और प्रस्तावों को लागू करने के लिए अधिनियमित अधिनियमों के अंतर्गत अपराध और उनसे संबंधित या उनसे जुड़े मामलों के लिए।”

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे यह भी बताया कि एनआईए अधिनियम, 2008 को वर्ष 2019 में एनआईए (संशोधन) अधिनियम, 2019 के माध्यम से संशोधित किया गया था, जिसमें उद्देश्यों और कारणों का विवरण भी शामिल था, जिसका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

1. राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 (अधिनियम) भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों की जांच और अभियोजन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जांच एजेंसी गठित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था और संयुक्त राष्ट्र, उसकी एजेंसियों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संधियों, समझौतों, सम्मेलनों और प्रस्तावों को लागू करने के लिए अधिनियमित अधिनियमों के अंतर्गत अपराध।

2. अनुसूचित अपराधों की त्वरित जांच और अभियोजन को सुगम बनाने के लिए, जिनमें भारत के बाहर भारतीय नागरिकों के विरुद्ध किए गए अपराध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले अपराध शामिल हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कुछ नए अपराधों को अधिनियम की अनुसूची में अनुसूचित अपराधों के रूप में शामिल करने के लिए, अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।“

6. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि एनआईए अधिनियम, 2008 और 2019 संशोधन अधिनियम दोनों के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का अवलोकन करने से एनआईए अधिनियम, 2008 को अधिनियमित करने में विधायिका का स्पष्ट इरादा स्पष्ट होता है, क्योंकि एनआईए अधिनियम, 2008 की अनुसूची में उल्लिखित अपराधों की जांच और अभियोजन की दोहरी शर्तें परिकल्पित की गई हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि एनआईए अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों की जांच और परिणामस्वरूप अभियोजन एनआईए द्वारा ही किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ यह है कि जिन अपराधों की जांच एनआईए द्वारा नहीं की गई है, उन पर बाद में एनआईए द्वारा अभियोजन नहीं चलाया जा सकता, भले ही ऐसे अपराध एनआईए अधिनियम, 2008 की अनुसूची में उल्लिखित हों। हालांकि, इस मामले में, आईपीसी की धारा 121ए, 153ए और 295ए के अंतर्गत कथित अपराधों की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई है और एनआईए की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। यह निवेदन किया जाता है कि वर्तमान मामले में एनआईए द्वारा अभियोजन चलाया ही नहीं जा रहा है, क्योंकि दिनांक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



01.07.2025 के विवादित आदेश में ही यह दर्ज है कि अभियोजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यह निवेदन किया जाता है कि इस मामले में एनआईए द्वारा जांच या अभियोजन की दोनों ही शर्तें पूरी नहीं होती हैं, इसलिए लखनऊ स्थित विशेष न्यायालय एनआईए के समक्ष इस मामले की सुनवाई पूरी तरह से अनुचित और अधिकार क्षेत्र से बाहर है, और इसलिए इसे संबंधित अपराधों से निपटने वाले नियमित न्यायालय के समक्ष चलाया जाना चाहिए।

7. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 का अध्याय-III "राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच" का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के अध्याय-III की धारा 6 के प्रावधानों के अनुसार, किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित सूचना प्राप्त होने और उसे दर्ज करने पर, पुलिस राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगी, जो उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे केंद्र सरकार को भेजेगी। रिपोर्ट प्राप्त होने पर केंद्र सरकार यह निर्धारित करेगी कि अपराध अनुसूचित अपराध है या नहीं और साथ ही, अपराध की गंभीरता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, क्या यह मामला राष्ट्रीय न्याय एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच के लिए उपयुक्त है, और यदि केंद्र सरकार उपर्युक्त दोनों बिंदुओं से संतुष्ट हो, तो वह उक्त अपराध की जांच के लिए एनआईए को निर्देश देगी। धारा 6 (5) केंद्र सरकार को यह अधिकार भी देती है कि वह स्वतः संज्ञान लेते हुए एनआईए को किसी ऐसे अपराध की जांच का निर्देश दे, जो उसकी राय में अनुसूचित अपराध हो और जिसकी जांच एनआईए द्वारा की जानी आवश्यक हो। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 6 के अंतर्गत केंद्र सरकार को विवेकपूर्ण विचार-विमर्श के बाद यह राय बनानी अनिवार्य है कि कोई अपराध, भले ही वह एनआईए अधिनियम, 2008 के अंतर्गत अनुसूचित अपराध हो, एनआईए द्वारा जांच के लिए उपयुक्त मामला है।

8. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 7, विशेष रूप से धारा 7(ख), एनआईए को जांच राज्य सरकार को हस्तांतरित करने का अधिकार देती है, लेकिन केवल धारा 6 के अंतर्गत प्रक्रिया पूरी होने और केंद्र सरकार द्वारा जांच का जिम्मा सौंपे जाने के बाद ही, वह भी केवल केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से। इस प्रकार एनआईए अधिनियम, 2008 अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों की जांच के लिए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दो विधियाँ प्रदान करता है, (i) धारा 6 के अंतर्गत एनआईए द्वारा जांच और (n) धारा 7(ख) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जांच। जांच के इन दो तरीकों के अलावा, यदि धारा 6 और 7 के प्रावधान लागू नहीं किए जाते हैं और जांच एजेंसी को नहीं सौंपी जाती है, तो नियमित जांच और अभियोजन जारी रहेगा, जिसका प्रावधान धारा 10 के अंतर्गत जांच और अभियोजन में ठहराव से बचने के लिए किया गया है।

9. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि एनआईए अधिनियम, 2008 तभी लागू होगा जब अनुसूचित अपराध की जांच अधिनियम की धारा 6 या धारा 7 के अनुसरण में की गई हो। अधिनियम के अंतर्गत जांच का कोई अन्य तरीका प्रदान नहीं किया गया है और जांच को एनआईए को सौंपे बिना और धारा 6 या धारा 7 के अंतर्गत संचालित किए बिना, एनआईए अधिनियम लागू नहीं हो सकता है, 2008 से ही यह एनआईए अधिनियम के लागू होने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। इस तथ्य को धारा 10 के प्रावधानों द्वारा और भी पुष्ट किया गया है, जो 'बचाव खंड', 'अधिनियम में अन्यथा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर' से शुरू होता है, अधिनियम की धारा 6 और 7 के अंतर्गत प्रावधानों/कार्रवाई को छोड़कर, किसी भी अनुसूचित अपराध या उस समय लागू किसी भी कानून के अंतर्गत अन्य अपराधों की जांच और अभियोजन करने की राज्य सरकार की शक्तियां अप्रभावित रहती हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि जांच एनआईए अधिनियम की धारा 6 या 7 के अंतर्गत नहीं की जाती है, तो राज्य सरकार नियमित जांच और अभियोजन (सीआरपीसी/बीएनएसएस के अंतर्गत) करेगी और ऐसे मामलों की सुनवाई स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र के नियमित न्यायालय के समक्ष होगी, न कि एनआईए अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष, क्योंकि एनआईए अधिनियम, ऐसे मामलों में 2008 लागू नहीं होगा, यह बात इस तथ्य से भी स्पष्ट है कि धारा 10 राज्य सरकार को किसी भी कानून के अंतर्गत सभी अपराधों की जांच और अभियोजन करने का अधिकार देती है, न कि केवल एनआईए अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित अपराधों का, केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 6(4) के अंतर्गत एनआईए को कोई भी जांच सौंपने के लिए "अपराधों की गंभीरता" को आधार बनाया गया है।

10. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि एनआईए अधिनियम, 2008 में केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत और राज्य सरकार द्वारा अधिनियम

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की धारा 22 के अंतर्गत विशेष न्यायालयों के गठन का प्रावधान है। धारा 22(4) में विशेष न्यायालय के गठन पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जांच किए जा रहे मामलों के स्थानांतरण का प्रावधान है। यह निवेदन किया जाता है कि एनआईए अधिनियम की धारा 13 में एजेंसी द्वारा जांच किए गए अनुसूचित अपराधों के परीक्षण का प्रावधान है, जो यह पुनः स्थापित करता है कि विशेष न्यायालयों को अनुसूचित अपराधों के परीक्षण पर अधिकार क्षेत्र तभी होगा जब अधिनियम में परिकल्पित 'एजेंसी' द्वारा उनकी जांच की जा रही हो।

11. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे यह भी प्रस्तुत किया है कि पटना उच्च न्यायालय ने बहादुर कोरा बनाम बिहार राज्य (एफबी), 2015 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2134 के मामले में एक संदर्भ का उत्तर देते हुए एनआईए अधिनियम, 2008 की योजना की पुष्टि की है, जिसमें यह कहा गया है कि यदि जांच एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 6 या 7 के अंतर्गत नहीं की जाती है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई एनआईए अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष नहीं की जाएगी।

12. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, (2020) 10 एससीसी 616 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित अपराधों के संबंध में एनआईए न्यायालय के दायरे और अधिकार क्षेत्र पर विचार करते हुए, अपराधों की एक नई श्रेणी तैयार की, जिनकी जांच एनआईए द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि उनका मुकदमा एनआईए अधिनियम के अंतर्गत ऐसे विशेष न्यायालय को सौंपा जाता है, 2008 में न्यायालय द्वारा स्वयं दी गई परिभाषा के अनुसार, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (जिसे आगे यूएपीए कहा गया है) की धारा 2(डी) के अंतर्गत, जांच एजेंसी चाहे जो भी हो, मुकदमा एनआईए अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय द्वारा चलाया जाना चाहिए। उपरोक्त निर्णय बहादुर कोरा (उपरोक्त) मामले में दिए गए मत पर विचार किए बिना पारित किया गया था, लेकिन यूएपीए को छोड़कर उसमें निर्धारित कानून निर्विवाद रहा।

13. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया है कि नासिर बिन अबू बक्र याफाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2018) एस.सी.सी. ऑनलाइन बॉम्बे 2122 3081 के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय (सर्वोच्च

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय) के समक्ष चुनौती दी गई थी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने नासिर बिन अबू बक्र याफाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2022) 6 एस.सी.सी. 308 के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए किसी संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय की पुष्टि करते हुए बिक्रमजीत सिंह (उपरोक्त) के मामले में प्रतिपादित कानून पर विचार किया।

14. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 13 में उल्लिखित गैर-बाधा खंड के संबंध में, यह केवल संहिता (सीआरपीसी/बीएनएसएस) के प्रावधानों को ही अधिभावी करता है, न कि एनआईए अधिनियम, 2008 के प्रावधानों को, बल्कि एनआईए अधिनियम की धारा 6 और 7 से संबंधित अधिनियम की योजना को अधिभावी करता है, एनआईए अधिनियम, 2008 के प्रावधान यथावत हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक किसी अनुसूचित अपराध की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी या राज्य एजेंसी को एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 6 या धारा 7 के अंतर्गत सौंपी नहीं जाती, तब तक एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 13 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और ऐसे मामलों में एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 10 लागू होगी। इसलिए, यह मान लेना गलत है कि प्रत्येक अनुसूचित अपराध का मुकदमा एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 11 या 22 के अंतर्गत नामित विशेष न्यायालय द्वारा ही चलाया जाना चाहिए। अपराध का अनुसूचित अपराध होना और एजेंसी द्वारा इसकी जांच किया जाना, ये दो अलग-अलग और अनिवार्य पूर्व शर्तें हैं, जिन्हें विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय बनाने के लिए हटाया नहीं जा सकता। आगे यह भी निवेदन किया जाता है कि एनआईए अधिनियम की धारा 10, एनआईए अधिनियम, 2008 के संशोधन में निहित सुरक्षा खंड के माध्यम से एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 6 और 7 के प्रावधानों को सुरक्षित रखा गया है और यह उन मामलों में सहायक होता है जिनमें केंद्र सरकार द्वारा जांच को एनआईए या राज्य एजेंसी को सौंपने के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है। ऐसे मामलों में, जांच और अभियोजन की प्रक्रिया में ठहराव या गतिरोध से बचने के लिए, विधायिका ने विवेकपूर्ण ढंग से अनुसूचित अपराधों के मामलों की जांच और अभियोजन का अधिकार राज्य सरकार को सौंप दिया है। एनआईए अधिनियम की धारा 6(3) और 6(4) के सरल अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्र सरकार को प्रत्येक मामले में यह निर्णय लेने का विवेकाधिकार प्राप्त

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि क्या यह अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर एजेंसी द्वारा जांच के लिए एफआईआर का मामला है। इस प्रकार, केवल अधिनियम की अनुसूची में अपराध का होना यह अनिवार्य रूप से नहीं दर्शाता कि उसकी जांच और अभियोजन एनआईए अधिनियम, 2008 की योजना के अंतर्गत ही किया जाएगा।

15. संक्षेप में, आवेदक के अधिवक्ता का तर्क यह है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) अधिनियम, 2008 के प्रावधान वर्तमान मामले पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि दिनांक 27.09.2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज होने के पश्चात, स्वीकार्य रूप से राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 6(1) के तहत परिकल्पित कोई भी आख्या (रिपोर्ट) राज्य सरकार को नहीं भेजी गई थी। परिणामस्वरूप, न तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 6(4) के तहत इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई थी और न ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के तहत इस मामले की जांच राज्य सरकार को स्थानांतरित की गई थी। जांच के पश्चात, मामले में आरोप-पत्र दिनांक 19.12.2022 को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर 22.12.2022 को संज्ञान लिया गया था। तत्पश्चात, आवेदकगण को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 2886/2023, 3070/2023 और 3071/2023 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2024 के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जमानत प्रदान की गई है, जिसमें पोषणीयता (रखने योग्य होने) के संबंध में भी कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी। अपने तर्क के समर्थन में, आवेदक के अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा जताया है:-

1. बहादुर कोरा और अन्य बनाम बिहार राज्य (उपरोक्त);
2. जगदीश सिंह बनाम राजस्थान राज्य, 2016 (4) आरएलडब्ल्यू 3464 (राज.);
3. जमानत संख्या 7249/2018, उत्तम शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, दिनांक 26.02.2019 को निर्णय लिया गया;
4. बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (उपरोक्त);
5. जाफर साहिक बनाम राज्य, 2021 एससीसी ऑनलाइन मद्रास 2593;
6. नासिर बिन अबू बकर याफाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, (उपरोक्त);

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4506/2022, बप्पन @ अरसाद मियां बनाम ए.टी.एस., उत्तर प्रदेश, लखनऊ, दिनांक 31.05.2023 को निर्णीत;

8. ए.टी.एस. यू.पी. बनाम बप्पन @ अरसाद मिया और बप्पन @ अरसाद मिया बनाम ए.टी.एस., यू.पी. एसएलपी (आपराधिक) संख्या 600 वर्ष 2024 और एसएलपी (आपराधिक) संख्या 14129 वर्ष 2023;

9. सलाहुद्दीन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपरोक्त)

10. अशोक मुतु भारत बनाम. छत्तीसगढ़ राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन सीएचएच. 495 .

16. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों का खंडन करते हुए विद्वान एजीए श्री शिव नाथ तिलहरी ने कहा कि दिनांक 01.07.2025 का आक्षेपित आदेश, जो एनआईए न्यायालय द्वारा आवेदक को बरी करने से इनकार करने का आदेश है, इसलिए मामले की वैधता का प्रश्न इस तथ्य के आधार पर देखा जाना चाहिए कि मामला एनआईए न्यायालय द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि इस न्यायालय ने कई मामलों में धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन की स्वीकार्यता के पहलू पर विचार किया है। सुविधा के लिए, अधिनियम, 2008 की धारा 21(1) नीचे उद्धृत की गई है:-

“21. अपीलें.

(1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, सजा या आदेश, जो अंतरिम आदेश न हो, के विरुद्ध तथ्यों और विधि दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

17. विद्वान एजीए ने आगे यह भी कहा है कि सल्लाहुद्दीन (उपरोक्त) मामले में, एनआईए अधिनियम के अंतर्गत डिफॉल्ट जमानत मांगने के आवेदन की अस्वीकृति को धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत एक आवेदन में चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय ने आदेश दिया था कि जमानत आवेदन की अस्वीकृति के विरुद्ध धारा 482 सीआरपीसी के अंतर्गत आवेदन स्वीकार्य नहीं है। उपरोक्त मामले में दिए गए फैसले का प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किया गया है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“23. उपरोक्त के मद्देनजर, इस मामले को एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। जमानत याचिका खारिज करने का आक्षेपित आदेश दिनांक 27.04.2022 को माननीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3/विशेष न्यायाधीश एनआईए/एटीएस, लखनऊ द्वारा पारित किया गया था। इस विशेष न्यायालय का गठन एनआईए की धारा 22 के अंतर्गत किया गया था। अधिनियम के अंतर्गत, विशेष न्यायालय द्वारा दिनांक 27.04.2022 को पारित आक्षेपित आदेश एन.आई.ए. अधिनियम की धारा 21(4) के अंतर्गत अपील योग्य है, जिसे संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत किया गया है:-

“21 अपीलें -

- (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, सजा या आदेश, जो अंतरिम आदेश न हो, के विरुद्ध तथ्यों और विधि दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।
- (2) उपधारा (1) के अंतर्गत प्रत्येक अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाएगी तथा जहाँ तक संभव हो, अपील की स्वीकृति तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा।
- (3) उपर्युक्त के अलावा, किसी विशेष न्यायालय के किसी भी निर्णय, सजा या आदेश, जिसमें अंतरिम आदेश भी शामिल है, के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया जा सकेगा।
- (4) संहिता की धारा 378 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय द्वारा जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।
- (5) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील निर्णय, सजा या आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी: बशर्ते कि उच्च न्यायालय उक्त तीस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास तीस दिनों की अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था: बशर्ते कि नब्बे दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

24. इस प्रकार, पूर्वोक्त के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि विशेष न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 27.04.2022 के माध्यम से चूक जमानत (डिफॉल्ट बेल) की मांग करने वाले आवेदन को खारिज किया जाना, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन.आई.ए.) अधिनियम की धारा 21(4) में निहित प्रावधानों के आलोक में एक अपील योग्य आदेश है।

25. इस मामले को देखते हुए भी, यह न्यायालय इस आवेदन को पोषणीय नहीं पाता है।”

18. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इसी प्रकार का प्रश्न रवींद्र कुमार (पूर्वोक्त) के मामले में भी उठाया गया था, जिसमें अधिनियम, 2008 की धारा 21 की उप-धारा (4) पर विचार किया गया है, जिसमें यह प्रावधानित है कि विशेष न्यायालय के जमानत देने या खारिज करने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होगी। रवींद्र कुमार (पूर्वोक्त) के उक्त निर्णय में 'अंतरवर्ती आदेश' (अंतर्वर्ती आदेश) शब्द पर भी विचार किया गया है। पूर्वोक्त निर्णय के संबंधित पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए गए हैं:—

“12. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 187(3) बीएनएसएस/167(2) के अंतर्गत वैधानिक जमानत का प्रावधान यह निर्धारित करता है कि कोई आदेश अंतरिम है या अंतिम। किसी आदेश के अंतरिम, मध्यवर्ती या अंतिम होने के लिए लागू की जा सकने वाली कसौटी क्या है, इसे दो भागों में सारांशित किया जा सकता है; पहला यह कि ऐसा कोई भी आदेश, जो आरोपी या पक्षों के अधिकार को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है, उसे अंतरिम आदेश नहीं कहा जा सकता है और दूसरा, कोई भी अधिकार, जो कुछ वैधानिक प्रावधानों से प्राप्त होता है, वह भी अंतरिम आदेश नहीं है। इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार विस्तार से विचार किया है, जिसकी शुरुआत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के मधु लिमये बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में दिए गए फैसले से हुई, जो (1977) 4 एससीसी 551 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें अमर नाथ और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में दिए गए फैसले

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(1977) 4 एससीसी 137 में आंशिक रूप से पुष्टि की गई थी, यह मानते हुए कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 में प्रयुक्त 'अंतरिम आदेश' शब्द का अर्थ हमेशा 'अंतिम आदेश' के विपरीत नहीं होता है और यह जांचने के लिए कुछ दिशानिर्देश प्रदान किए गए थे कि कोई विशेष आदेश 'अंतरिम आदेश' नहीं है।

13. इसके बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने वी.सी. शुक्ला बनाम राज्य मामले में, जो 1980 सप्लीमेंट एससीसी 92 में प्रकाशित हुआ है, अमर नाथ (उपरोक्त) और मधु लिमये (उपरोक्त) में दिए गए निर्णयों के आधार पर यह धारित किया है कि मध्यवर्ती, अर्ध-अंतिम और अंतिम आदेशों पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इस दृष्टि से, बीएनएसएस की धारा 187(3) के अंतर्गत वैधानिक जमानत का प्रावधान एक मध्यवर्ती आदेश है और किसी विशेष अधिनियम में दिए गए किसी अन्य प्रावधान के अधीन इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

14. अनुरक्षण योग्यता के मुद्दे के मूल में आते हुए, अधिनियम 2008 की धारा 21(4) के प्रावधान से यह स्पष्ट है कि विशेष न्यायालय द्वारा जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, भले ही सीआरपीसी की धारा 378 की उपधारा (3) में कुछ भी निहित हो। यह प्रावधान अपने मूल उद्देश्य में स्पष्ट है और वर्तमान मामले में इस प्रावधान को लागू करते समय यह स्पष्ट है कि यह जमानत देने या अस्वीकार करने के संबंध में किसी भी प्रकार के अंतर की बात नहीं करता है, जिसका अर्थ यह है कि यदि विशेष न्यायालय (एनआईए) जमानत देता है या अस्वीकार करता है, तो वह अपील के प्रावधानों के अधीन होगा, अधिनियम 2008 की धारा 21 के अंतर्गत निर्धारित है और इसलिए, स्पष्ट प्रावधानों की उपस्थिति में, विधायिका के आशय के विरुद्ध कोई अन्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। यह न्यायालय इस स्थापित कानून से भी अवगत है कि किसी भी कार्य को विधि में निर्धारित तरीके से ही किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। यह स्वीकार किया जाता है कि दिनांक 7.7.2025 के आदेश द्वारा माननीय विशेष न्यायाधीश (एनआईए) ने आवेदक की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अतः, इस आदेश के विरुद्ध विशेष अधिनियम, अर्थात् अधिनियम 2008 के अंतर्गत अपील का उपाय उपलब्ध है।

15. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने यह भी पाया कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा संदर्भित कानून, जो हरेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (उपरोक्त) मामले में दिया गया है,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



एक अलग तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर आधारित है और यह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा, चूंकि उपर्युक्त मामले में विवाद नब्बे दिनों की अवधि पूरी होने से संबंधित था, क्योंकि आरोप पत्र उसी दिन भेजा गया था जिस दिन जमानत न देने के लिए आवेदन किया गया था, इसलिए यह मामला वर्तमान मामले के दायरे में नहीं आएगा।

16. अतः, इस न्यायालय की यह राय है कि विशेष न्यायालय (एनआईए) द्वारा दिनांक 7.7.2025 को पारित आदेश को चुनौती देने वाला यह आवेदन पोषणीय नहीं है, अतः राज्य के अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को स्वीकार किया जाता है।“

19. विद्वान एजीए ने आगे यह भी कहा कि आईपीसी की धारा 121-ए के अंतर्गत अपराध अधिनियम, 2008 की अनुसूची VIII-ए के अंतर्गत आता है। एनआईए न्यायालय ने अधिनियम, 2008 से संबंधित मामलों पर सुनवाई करते हुए समन जारी किया था और उसके बाद आवेदक उपस्थित हुए और डिस्चार्ज आवेदन दाखिल किया, जिसे खारिज कर दिया गया। अधिनियम, 2008 की धारा 21(1) स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि किसी विशेष न्यायालय के अंतरिम आदेश को छोड़कर किसी भी निर्णय, सजा या आदेश से तथ्यों और कानून दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

20. विद्वान एजीए ने आगे यह भी कहा कि सुमित कुमार और अन्य (उपरोक्त) के मामले में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संक्षेप में "एससी/एसटी अधिनियम") के अंतर्गत दायर समन आदेश और आरोप पत्र को चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय ने विस्तृत आदेश पारित करते हुए यह टिप्पणी की कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत आवेदकों द्वारा दायर की गई वह याचिका जिसमें समन आदेश, आरोप पत्र और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506 और 241 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 3(1)(दा)(धा) के अंतर्गत मामले की पूरी कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई है, पोषणीय नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया, जिससे आवेदकों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14-ए के अंतर्गत वैधानिक उपाय का लाभ उठाने का विकल्प खुला रहा। संदर्भ के लिए, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम की धारा 14-ए नीचे उद्धृत है-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“14-ए. अपीलें (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 वर्ष 1974) में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, सजा या आदेश, जो अंतरिम आदेश न हो, के विरुद्ध तथ्यों और विधि दोनों के आधार पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 वर्ष 1974) की धारा 378 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा जमानत देने या अस्वीकार करने के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

(3) किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक अपील, अपील किए गए निर्णय, सजा या आदेश की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर दायर की जाएगी:

बशर्ते कि उच्च न्यायालय उक्त नब्बे दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद भी अपील पर विचार कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता के पास नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

बशर्ते कि, एक सौ अस्सी दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

(4) उपधारा (1) के अंतर्गत दायर की गई प्रत्येक अपील, जहाँ तक संभव हो, अपील स्वीकार किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर निपटा दी जाएगी।

21. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

22. भारतीय दंड संहिता की धारा 121-ए के अंतर्गत अपराध, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 में दी गई अनुसूची के अनुसार अनुसूचित अपराधों की श्रेणी में आता है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 2008 के प्रावधान राष्ट्रीय न्यायाधिकरण या राज्य एजेंसी द्वारा जांच किए गए दोनों ही मामलों में लागू होंगे। अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए यह आवश्यक है कि अपराध अनुसूचित अपराधों की श्रेणी में आता हो। राष्ट्रीय अभियोग अधिनियम, 2008 की धारा 2(1)(जी) में "अनुसूचित अपराध" को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार किसी अपराध को अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाता है। राष्ट्रीय अभियोग अधिनियम, 2008 में यह प्रावधान है कि "अनुसूचित अपराधों" की जांच एजेंसी द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम, 2008 की धारा 2(क) में "एजेंसी" का अर्थ परिभाषित किया गया है। धारा 2(क) के अनुसार, "एजेंसी" का अर्थ राष्ट्रीय जांच एजेंसी है। हालांकि, धारा 22 की उपधारा (2) के खंड 2 के अनुसार, "एजेंसी" का अर्थ राज्य सरकार की जांच एजेंसी है।

23. एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 6 में प्रावधान है कि संहिता की धारा 154 के अंतर्गत किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी तुरंत राज्य सरकार को रिपोर्ट अग्रेषित करेगा। उपधारा (1) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार यथाशीघ्र उस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को अग्रेषित करेगी। राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी या अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर, रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर यह निर्धारित करेगी कि अपराध अनुसूचित अपराध है या नहीं और यह भी कि अपराध की गंभीरता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए, क्या यह मामला संबंधित एजेंसी द्वारा जांच के लिए उपयुक्त है। यदि केंद्र सरकार की राय है कि अपराध अनुसूचित अपराध है और यह एजेंसी द्वारा जांच के लिए उपयुक्त मामला है, तो वह एजेंसी को उक्त अपराध की जांच करने का निर्देश देगी।

24. एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उपधारा (7) में यह प्रावधान है कि संदेह दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि जब तक एजेंसी मामले की जांच शुरू नहीं करती, तब तक पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह जांच जारी रखे। इसके अलावा, एनआईए अधिनियम, 2008 की धारा 10 अनुसूचित अपराधों की जांच करने के लिए राज्य सरकार की शक्ति का वर्णन करती है जिसमें कहा गया है कि, इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, इस अधिनियम में निहित कोई भी बात राज्य सरकार की किसी अनुसूचित अपराध या उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपराधों की जांच और अभियोजन करने की शक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी। यहां यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि अधिनियम, 2008 की धारा 10 को पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राज्य सरकार को अनुसूचित अपराध की जांच करने की स्वतंत्र शक्ति प्राप्त है।

25. चूंकि यह आदेश विशेष न्यायाधीश, एनआईए अधिनियम द्वारा पारित किया गया है, इसलिए अधिनियम, 2008 की धारा 21(1) के अंतर्गत अपील की जा सकती है, अतः

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के अधिवक्ता का यह तर्क कि एनआईए अधिनियम, 2008 वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, मान्य नहीं है। आवेदकों पर एनआईए अधिनियम, 2008 की प्रयोज्यता तभी देखी जा सकती है जब धारा 482 सीआरपीसी/528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन पोषणीय हो। चूंकि समन आदेश और रिहाई से इनकार के आदेश के विरुद्ध धारा 482 सीआरपीसी/528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन पोषणीय नहीं है, इसलिए यह न्यायालय आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दिए गए इस तर्क पर विचार नहीं करेगा कि अधिनियम, 2008 लागू नहीं होता है।

26. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, आवेदन को पोषणीय न मानते हुए खारिज किया जाता है, जिससे आवेदक को अधिनियम, 2008 की धारा 21(1) के अंतर्गत उपचार तलाशने का विकल्प खुला रहता है।

(न्यायमूर्ति बृज राज सिंह)

20 मार्च 2026

राव/-